कार्यालय नगर परिषद, सुपौल

नीलामी सूचना

नगर परिषद, बोर्ड के निर्णय के आलोक में रद्दी/बेकार घोषित वाहनों/बेकार घोषित सामग्रियों की बिक्री सार्वजनिक नीलामी (डाक) दिनांक 28.12.2017 को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल के कार्यालय वेश्म में 01:00 बजे अपराहन् में किया जायेगा।

सार्वजनिक नीलामी (डाक) से बिक्री किये जाने वाले रद्दी/बेकार घोषित सामग्रियों का विवरण एवं न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निम्नांकित है :-

क्र0 सं.	सामग्री का नाम	सामग्री का प्रकार	संख्या	न्यूनतम सुरक्षित मूल्य
1	2	3	4	5
1	मेशी ट्रेक्टर	ट्रेक्टर	01	5000.00
2	ट्रेक्टर टेलर	टेलर	01	1000.00
3	1.1 M^3 क्षमता कुड़ादान	कुड़ादान	40	30000.00
4	2.5 M^3 क्षमता कुड़ादान	कुड़ादान	10	10000.00
5	हस्तचलित ट्रॉली	ट्रॉली	40	15000.00
6	कुड़ादान	कुड़ादान	30	20000.00
7	खराब सोडियम लाईट यथा स्थिति	सोडियम लाईट	170	30000.00
8	खराब हाईमास्ट लाईट यथा स्थिति	हाईमास्ट लाईट	40	15000.00

नीलामी हेतु शर्त्ते :-

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को पहचान पत्र, पेन कार्ड की छायाप्रति के साथ मो0 10000.00 रूपये सुरक्षित जमा राशि के रूप में नीलामी से पूर्व में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. रद्दी/बेकार घोषित वाहनों/बेकार घोषित सामग्रियों का न्यूनतम मूल्य उपर्युक्त सारणी में दर्शाया गया है।
3. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों में से उच्चतम डाक वक्ता को सफल माना जायेगा।
4. रद्दी/बेकार घोषित वाहनों/बेकार घोषित सामग्रियों का उठाव नीलामी तिथि के दिन ही उच्च्तम डाक वक्ता उसी समय डाक बोली राशि नगर परिषद, सुपौल कार्यालय में जमा करना होगा।
5. नीलामी के उपरान्त प्राप्त रद्दी/बेकार घोषित वाहनों/बेकार घोषित सामग्रियों को ले जाने पर होने वाले व्यय सफल डाक वक्ता को व्यय करना होगा एवं 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से उठाव कर लेना होगा।
6. सुरक्षित जमा राशि डाक समाप्ति के बाद कार्यपालक पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर वापस किया जायेगा।
7. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे पूर्वाहन् से 03:00 बजे अपराहन् तक कार्यपालक पदाधिकारी को सूचना दे कर रद्दी/बेकार घोषित वाहनों/बेकार घोषित सामग्रियों का अवलोकन कर सकते है।
8. किसी भी न्यायिक मामले में न्याय क्षेत्र सुपौल न्यायालय ही होगा।
9. निलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 27.12.2017 को न्यूनतम सुरक्षित जमा की राशि का बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल के नाम से बन्द लिफाफा में जमा करना होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।
13/12/017

ज्ञापांक 1133/न.प., सुपौल दिनांक 13/12/2017

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं अनुरोध है विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना चाहेंगे।

प्रतिलिपि : उपमुख्य/मुख्य पार्षद, नगर परिषद, सुपौल को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : निदेशक सूचना एंव जनसर्म्पक विभाग, बिहार पटना को सूचना की सी0डी0 एवं 5 (पाँच) प्रति राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के दो-दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि प्रकाशन सूचना की तिथि से एक सप्ताह पूर्व कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सुपौल को सादर सूचनार्थ।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सुपौल।
13/12/017

Sonu : E/2017-18/Scheme./Scheme Letter One